

पीठासीन अधिकारी  
प्रार्थना पत्र संख्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.  
01/2019

1. श्री रूपराज पुत्र स्व० श्री धनराज बालिग
  2. श्री मुकेश पुत्र स्व० श्री धनराज बालिग
- समस्त जाति जाट निवासी कालेसरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पीसागंन जिला अजमेर।
  2. श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नि स्व० श्री भगवती प्रसाद जी
  3. पुखराज पुत्र स्व० श्री भगवती प्रसाद जी
  4. सुरेश चन्द पुत्र स्व० श्री भगवती प्रसाद जी
  5. रमेश चन्द पुत्र स्व० श्री भगवती प्रसाद जी
  6. दिनेश पुत्र स्व० श्री भगवती प्रसाद जी
  7. भंवरी पुत्री स्व० श्री भगवती प्रसाद जी
  8. निर्मला देवी पुत्री स्व० श्री भगवती प्रसाद जी
  9. मधु पुत्री स्व० श्री भगवती प्रसाद जी
- समस्त जाति महाजन निवासी कालेसरा हाल निवासी बस्सी मोहल्ला पीसागंन जिला अजमेर

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 रा० भू० रा० अधिनियम 1956

एवं धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री शिवचरण शर्मा - अभिभाषक प्रार्थी  
एक पक्षिय कार्यवाही - अप्रार्थी संख्या 2 से 9  
श्री किशनाराम चौधरी - सरकार परोकार

-: निर्णय :- दिनांक 18.06.19

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 रा० भू० रा० अधिनियम 1956 एवं धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम कालेसरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर अवस्थित वर्किंग खाता संख्या 256 में से खसरा संख्या 2274 रकबा 10-15-00 खसरा संख्या 2276 रकबा 13-16-00 खसरा संख्या 2277 रकबा 06-02-00 कुल कित्ता 3 रकबा 30-13-00 बीघा कृषि भूमि को प्रार्थीगण नाबालिग प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती लालीदेवी पत्नि श्री धनराज द्वारा उक्त सम्पूर्ण आराजी जरिये पंजीयन बेनामा दिनांक 02.07.1999 से खरीद की तब से आराजी वादीगण के कब्जे काश्त चली आ रही है। प्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 20.12.1999 को स्वीकार होकर वर्किंग जमाबंदी के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका है। तत्पश्चात् बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आधार जमाबंदी सवंत 2060-2060 के खसरा संख्या 1310



उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक न्यायालय  
पीसागंन

रकबा 1.29 है, खसरा संख्या 1311 रकबा 0.45 है. खसरा संख्या 1306 रकबा 2.24 है.  
खसरा संख्या 1300 रकबा 0.89 है. खसरा संख्या 1299/3261 रकबा 0.10 है0 का इन्द्राज  
पुनः मूल खातेदार के नाम अंकित कर दी तथा तत्पश्चात मूल खातेदार के स्वर्गवास हो  
जाने के बाद वर्तमान जमाबंदी सवंत 2071 से 2074 में मूल खातेदार के विधिक वारिसान के  
नाम अंकित किया गया । जो कि विधि विरुद्ध है। अतः उक्त लिपकीय त्रुटि को दुरुस्त  
किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश  
फरमावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 9 को अपना पक्ष  
प्रस्तुत करने हेतु अखबार साया से सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 से 9 बावजूद  
सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राजकीय  
पेरोकार ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होता  
है। प्रार्थी अपना पक्ष साबित करता है तो अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी  
अभिभाषक ने वादी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 9 लगाये गये।

मैने उभयपक्ष बहस सुनी । पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का  
अवलोकन किया , मनन किया। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत पंजीयन बेनामा ,  
नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 20.12.1999 , वर्किंग जमाबंदी में इन्द्राज एवं वर्तमान  
राजस्व रिकार्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के पुनः मूल खातेदारों के नाम  
अंकन किया जाना विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136  
सपठित धारा 132 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया  
जाता है। तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम कालेसरा तहसील  
पीसागंन जिला अजमेर अवस्थित खसरा नम्बर 1310 रकबा 1.29 है. , खसरा संख्या 1311  
रकबा 0.45 है. खसरा संख्या 1306 रकबा 2.24 है. , खसरा संख्या 1300 रकबा 0.89 है.  
खसरा संख्या 1299/3261 रकबा 0.10 है0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पूर्व इन्द्राज के  
स्थान पर रूपराज मुकेश पुत्र धनराज जाति जाट सा0 देह का इन्द्राज अंकित किया जावे।  
निर्णय आज दिनांक 18.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व  
न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



18/06/19  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
पीसागंन

